CNR–UPAG010146282024

न्यायालय– अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं0–1, आगरा।
उपस्थित : पुष्कर उपाध्याय, एच0जे0एस0

सत्र परीक्षण सं0 2349/2024

राज्य ———— देवेन्द्र आदि।

अपराध सं0–572/2021
धारा–376, 323, 504, 506
भा0द0सं0
थाना–ताजगंज, जिला आगरा।

दिनांक 20.02.2026

निस्तारण प्रार्थनापत्र 19 ख अन्तर्गत धारा 216 द0प्र0सं0(239 बी.एन.एस.एस.)

1– प्रार्थिया/वादिया श्रीमती उमा देवी पत्नी देशराज द्वारा उपरोक्त प्रार्थनापत्र प्रार्थनापत्र 19 ख अन्तर्गत धारा 216 द0प्र0सं0(239 बी.एन.एस.एस.) दिनांकित 22.12.2025 इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि उपराक्त सत्र परीक्षण में अभियुक्त देवेन्द्र उर्फ पिन्टू के विरूद्ध 323, 504, 506, 376 भा0द0सं0 व अभियुक्त मनोज के विरूद्ध 376 भा0द0सं0 में आरोप विरचित है। अभियक्तगण सहदेव व भूरी देवी के विरूद्ध विवेचक द्वारा धारा–323, 504, 506 भा0द0सं0 की धाराओं में आरोपित किया है और सत्र परीक्षण न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त मामले में प्रार्थिया पीड़िता/वादिया है। मुकदमें में अभियोजन साक्षी सं0–1 प्रार्थिया अभियोजन साक्षी सं0–2 पायल के साक्ष्य पूर्ण हो चुके हैं। प्रार्थिया द्वारा 164 द0प्र0सं0 के बयान में भी बताया है कि मेरे जेठ देवेन्द्र और देवर मनोज, ससुर सहदेव हमेशा से मुझ पर गलत निगाहे रखते थे, शादी के बाद मैं अपनी ससुराल में सभी लोगों के साथ ही रहती, मेरा कमरा अलग है मैं अपना खाना पीना अलग करती हूँ। मेरे मायके वाले मेरा सारा खर्च देते हैं। पति मंदबुद्धि होने के कारण कुछ कमाता नहीं है। मेरा ससुर मुझसे कहता है कि मेरे साथ रहेगी, तो तेरा सारा खर्चा पानी दूंगा, मेरी सास भूरी देवी ने मेरे देवर मनोज के साथ मिलकर मेरे साथ शारीरिक सम्बन्ध मनोज से जबरदस्ती बनवाये थे। सास कहती थी कि मनोज से बच्चा पैदा हो जायेगा, अब भी मेरा पति मेरे साथ सोता था उसी के आस पास देवर मेरे पास सम्बन्ध बनाने भेज देती थी। देवर की नौकरी लग गयी है तब से ससुर कहता है कि मेरे साथ रह ले। मेरा जेठ पिछले 2 महीने से मेरे साथ बन्दूक की नोंक पर मेरा बलात्कार करता चला आ रहा है। प्रार्थिया ने अपनी मुख्य परीक्षा में स्पष्ट रूप से यह कहा है कि सास भूरी देवी ने मेरे देवर मनोज को मेरे कमरे में घुसा दिया और कहा कि मैं चाहू वैसे ही तुम्हें रहना पड़ेगा। तुम्हारा

पति सीधा सादा है, देवर मनोज ने मेरे साथ जबरदस्ती गलत काम किया। मेरी सास भतपला (अपने भाई के यहां पूडियां) देने चली गयी थी। वह वर्ष 2009 की घटना है जो जेठ की शादी के 20 दिन बाद मेरे ससुर सहदेव ने भी गलत काम किया, उस समय मैं घर पर अकेली थी। प्रार्थिया का जिरह दिनांक 10.11.2025 में पेज नं0–3 में बयान है कि मेरा बेटा पीयूष, मनोज सिंह से पैदा है। पेज नं0–4 पर 164 द0प्र0सं0 के बयान में भी जिक्र किया है कि सास देवर को मेरे पास सम्बन्ध बनाने भेज देती थी। जिरह के पेज नं0–14 में सास मनोज को जबरदस्ती सोने के लिये भेज देती थी और मनोज जबरदस्ती मेरे साथ अवैध सम्बन्ध बनाता था। साक्षी सं0–2 ने अपनी मुख्य परीक्षा में बयान दिया है कि वर्ष 2014 में मैं समझदार हो गयी थी और मेरी उम्र करीब 12 वर्ष थी। मायके में रहने के दौरान वर्ष 2014 में मेरी बहन उमा ने माँ को बताया कि मेरा देवर मनोज मेरे साथ जबरदस्ती गलत करता है अर्थात् बलात्कार करता है जब इस बात को मैं सास से कहती हूँ तो सास कहती है कि तेरा पति मंदबुद्धि है बच्चा के पति से पैदा होगा, तो मंदबुद्धि का पैदा होगा। आगे यह भी बयान दिया कि मेरी बहन ने यह भी बताया कि मेरे ससुर भी मौका पाकर मेरे साथ बलात्कार करते है यह सारी बातें मेरे सामने मेरी माँ को बताई थी। तब भी मैं वहां पर थी और मैंने भी सुनी थी। साक्षी सं0–2 ने जिरह में बयान दिया है कि मेरी बहन ने यह बताया था कि मेरे ससुर भी मौका पाकर मेरे साथ बलात्कार करते हैं और यह भी जिरह में आया है कि मेरी बहिन ने मेरी माँ को बलात्कार से सम्बन्धित बाते वर्ष 2014 में बतायी थी तब मैं लगभग 11–12 वर्ष की थी। न्यायालय में साक्षियों के बयान और जिरह में अभियंक्त सहदेव पर 376 भा0द0सं0 व अभियुक्ता भूरी देवी के विरूद्ध 120बी भा0द0सं0 की धाराओं में भी आरोप विरचित किया जाना न्यायहित में अत्यन्त आवश्यक है। अतः अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त सहदेव पर 376 भा0द0सं0 व अभियुक्ता भूरी देवी के विरूद्ध 120बी भा0द0सं0 की धाराओं में भी आरोप विरचित किये जाने के आदेश पारित करने की याचना की गयी। उपरोक्त प्रार्थनापत्र विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा सब्मिट किया गया है।

2– उपरोक्त प्रार्थनापत्र के विरूद्ध अभियुक्तगण सहदेव सिंह व श्रीमती भूरी देवी द्वारा विरोध प्रार्थनापत्र दिनांकित 05.02.2026 इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि उक्त प्रकरण में अभियुक्तगण सहदेव व श्रीमती भूरी के विरूद्ध विवेचकों द्वारा गहराई से अन्वेषणोपरान्त धारा–323, 504, 506 भादवि में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। जिस पर आरोप विरचित होकर विचारण हो रहा है। वादिया द्वारा अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट, धारा 161 व 164 द0प्र0सं0 के बयानों में अभियुक्त सहदेव के द्वारा बलात्कार किये जाने का कोई तथ्य उदघाटित नहीं किया था। मुकदमा वादिया ने जेठ देवेन्द्र, देवर मनोज, ससुर सहदेव व सास भूरी देवी को इस मामले में

वर्ष 2016 में तलाक होने के उपरान्त इस झूठे अभियोग को वर्ष 2021 में पंजीकृत कराया है। इस कारण वादिया अकारण मामले की कार्यवाही को विलम्बत करने व किसी प्रकार राजीनामा हो जाये जिसमें उसे उसकी मांग के अनुसार अभियुक्तगण भारी मात्रा में धन दे दें और उसकी मांग भी कर रही है। प्रस्तुत मामले में वादिया को अभियुक्त सहदेव व भूरी देवी के विरूद्ध यह आरोप लगाने थे तो उसके पास दिनांक 17.08.2021 से और इस मामले में बयान से पूर्व वादिया ने कभी भी इन धाराओं सम्बन्ध में कभी किसी तथ्य का प्रख्यान अपने विभिन्न स्तरों पर दिये गये बयानों पर नहीं किया। इसलिए वादिया मुकदमा ने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर यह प्रार्थना पत्र धारा–216 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत विधि एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। जिससे अभियक्त सहदेव व श्रीमती भूरी देवी को अनावश्यक रूप से एक गम्भीर आरोप का सामना करने के लिए धकेलने का कुत्सित प्रयास है। अतः बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुकदमा वादिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांकित 22.12.2025 अपास्त किये जाने की याचना की गयी।

3– उपरोक्त प्रार्थनापत्र पर वादिया मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

4– पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत मामले में वादिया मुकदमा द्वारा थाना ताजगंज आगरा पर इस आशय की तहरीर प्रस्तुत की गयी कि प्रार्थिया उमा देवी पत्नी देशराज उर्फ बन्टू निवासी–ग्राम बरौली अहीर, थाना ताजगंज जिला आगरा की निवासिनी है। प्रार्थिया का जेठ देवेन्द्र उर्फ पिन्टू पुत्र सहदेव निवासी–ग्राम बरौली अहीर, थाना ताजगंज आगरा प्रार्थिया के साथ करीब दो माह पूर्व से लगातार तमंचा के बल पर बलात्कार कर रहा है। प्रार्थिया जब विरोध करती थी तो जेठ देवेन्द्र उपराक्त धमकी देता था कि तेरा बेटा पीयुष को गोली से मार दूंगा, प्रार्थिया लोक लज्जा के भय के कारण सब कुछ सहती रही। दिनांक 29.07.2021 को प्रार्थिया के साथ देवेन्द्र ने पुनः बलात्कार किया और जब विरोध किया तो मारपीट की है। प्रार्थिया के घर से ताला लगा दिया और घर से बाहर निकाल दिया, और तभी से प्रार्थिया खुले आसमान के नीचे रह रही है। प्रार्थिया ने घटना की सूचना 112 पर दी परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुयी है, थाने भी गयी फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। उक्त तहरीर के आधार पर थाना ताजगंज आगरा पर अभियुक्त देवेन्द्र के विरूद्ध मु0अ0सं0 572/2021 धारा 376, 323, 506 भा0द0सं0 के तहत पंजीकृत हुआ तथा विवेचक द्वारा विवेचनोपरान्त अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रेषित आरोप पत्र पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आगरा द्वारा अभियुक्तगण देवेन्द्र सिंह व मनोज के विरूद्ध धारा 376, 323, 504, 506 भा0द0सं0 तथा अभियुक्तगण सहदेव व श्रीमती भूरी देवी के

विरूद्ध धारा 323, 504, 506 भा0द0सं0 के तहत संज्ञान लिया गया तथा प्रकरण सत्र परीक्षण होने के कारण दिनांक 16.11.2024 को माननीय सत्र न्यायालय के सुपुर्द किया गया। माननीय सत्र न्यायाधीश, आगरा के स्थानांतरण आदेश दिनांकित 29.11. 2024 के द्वारा प्रकरण दिनांक 03.12.2024 को इस न्यायालय में प्राप्त हुआ।

5– तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 07.05.2025 को अभियुक्त देवेन्द्र उर्फ पिन्टू के विरूद्ध धारा 376, 323/34, 504, 506 भा0द0सं0, अभियुक्त मनोज के विरूद्ध धारा 376 भा0द0सं0 तथा अभियुक्तगण सहदेव व भूरी देवी के विरूद्ध धारा 323/34, 504, 506 भा0द0सं0 के तहत आरोप विरिचत किया गया। तदोपरान्त अभियोजन पक्ष द्वारा पी0डब्ल्यू0–1 श्रीमती उमा देवी व पी0डब्ल्यू0–2 पायल के बयान अंकित कराये गये हैं।

6– वादिया मुकदमा द्वारा उपरोक्त प्रार्थनापत्र धारा 216 द0प्र0सं0 (239 बी.एन.एस.एस.) के तहत अभियुक्त सहदेव पर 376 भा0द0सं0 व अभियुक्ता भूरी देवी के विरूद्ध 120बी भा0द0सं0 की धाराओं में भी आरोप विरचित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

धारा 216 द0प्र0सं0(239 बी.एन.एस.एस.) में यह प्रावधान है कि न्यायालय आरोप परिवर्तित कर सकता है–

(1) कोई भी न्यायालय निर्णय सुनाए जाने के पूर्व किसी समय किसी भी आरोप में परिवर्तन या परिवर्धन कर सकता है।

(2) ऐसा प्रत्येक परिवर्तन या परिवर्धन अभियुक्त को पढ़कर सुनाया और समझाया जाएगा।

(3) यदि आरोप में किया गया परिवर्तन या परिवर्धन ऐसा है कि न्यायालय की राय में विचारण को तुरन्त आगे चलाने से अभियुक्त पर अपनी प्रतिरक्षा करने में या अभियोजक पर मामले के संचालन में कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है, तो न्यायालय ऐसे परिवर्तन या परिवर्धन के पश्चात् स्वविवेकानुसार विचारण को ऐसे आगे चला सकता है मानो परिवर्तित या परिवर्धित आरोप ही मूल आरोप है।

(4) यदि परिवर्तन या परिवर्धन ऐसा है कि न्यायालय की राय में विचारण को तुरन्त आगे चलाने से इस बात की संभावना है कि अभियुक्त या अभियोजक पर पूर्वोक्त रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तो न्यायालय या तो नये विचारण का निदेश दे सकता है या विचारण को इतनी अवधि के लिए, जितनी आवश्यक हो, स्थगित कर सकता है।

(5) यदि परिवर्तित या परिवर्धित आरोप में कथित अपराध ऐसा है, जिसके अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी की आवश्यकता है, तो उस मामले में ऐसी मंजूरी अभिप्राप्त किए बिना कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी जब तक कि उन्हीं तथ्यों के आधार पर, जिन पर परिवर्तित या परिवर्धित आरोप आधारित हैं, अभियोजन के लिए मंजूरी पहले ही अभिप्राप्त नहीं कर ली गई है।

7– उक्त के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि केस डायरी में उल्लिखित वादिया/पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा 161 व 164 द0प्र0सं0 का अवलोकन किया गया। बयान धारा 164 द0प्र0सं0 में पीड़िता ने मुख्य रूप से यह कथन किया है कि उसका पति मन्द बुद्धि है, उसका जेठ देवेन्द्र और देवर मनोज,

ससुर सहदेव हमेशा उस पर गलत निगाह रखते थे। पति मन्द बुद्धि होने के कारण कुछ कमाता नहीं है। उसका ससुर उससे कहता है कि उसके साथ रहेगी तो तेरा सारा खर्चा पानी दूँगा। उसकी सास भूरी देवी ने उसके देवर मनोज के साथ मिलकर उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध मनोज से बनवाये थे, सास कहती थी कि मनोज से बच्चे पैदा हो जायेंगे। अब भी उसका पति उसके साथ सोता था, उसी के आस पास वह देवर को उसके पास सम्बन्ध बनाने भेज देती थी। देवर की नौकरी लग गयी है। तब से ससुर कहता है कि उसके साथ रह ले, उसका जेठ पिछले दो महीने से बन्दूक की नॉक पर बलात्कार करता आ रहा है। दिनांक 28.07.2021 को रात में उसके जेठ ने उसके कमरे की लाइट हटा दी और रात में लगभग 02.00 बजे उसके कमरे में घुसकर उसके साथ बलात्कार किया। उसने अपने सास ससुर से शिकायत की थी, तो वह कहते थे कि हम जैसे रखेगें वैसे रहेगी। उसने 28.07.2021 को रात में जेठ की हरकतों को लेकर हँगामा और शोर शराबा कर दिया, जेठ उसे धमकी देता था कि किसी से बोलेगी तो तेरे लड़के को मार देगें। दिनांक 29.07.2021 को सुबह थाने पर गयी थी। इसी बात से नाराज होकर उसके ससुर, सास, जेठ, देवर ने घर से निकाल दिया है। उसे घर में नहीं घुसने देते हैं।

8– इस प्रकार पीड़िता के बयान धारा 164 द0प्र0सं0 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पीड़िता द्वारा अपने उक्त बयानों में देवर मनोज व जेठ देवेन्द्र सिंह द्वारा उसके साथ जरदस्ती संबंध बनाने/बलात्कार का कथन किया गया है, किन्तु पीड़िता द्वारा अपने उपरोक्त बयानों में अभियुक्त सहदेव द्वारा उसके साथ बलात्कार किए जाने का कोई कथन नही किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर तत्कालीन विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा अभियुक्त देवेन्द्र उर्फ पिन्टू के विरूद्ध धारा 376, 323/34, 504, 506 भा0द0सं0, अभियुक्त मनोज के विरूद्ध धारा 376 भा0द0सं0 तथा अभियुक्तगण सहदेव व भूरी देवी के विरूद्ध धारा 323/34, 504, 506 भा0द0सं0 के तहत आरोप विरिचत किया चुका है। जहॉ तक वादिया मुकदमा/पीड़िता द्वारा साक्षी पी0डब्ल्यू0–1 के रूप में न्यायालय के समक्ष दिए गए बयानों का संबंध है, न्यायालय द्वारा बयानों में बढ़ोत्तरी/परिवर्तन के संबंध में साक्ष्य का विश्लेषण करते समय निष्कर्ष दिया जायेगा। इस स्तर पर निष्कर्ष दिया जाना न्यायसंगत नही है। वादिया मुकदमा के द्वारा दी गयी तहरीर, बयान अन्तर्गत धारा 161 द0प्र0सं0 तथा बयान अन्तर्गत धारा 164 द0प्र0सं0 एवं न्यायालय के समक्ष दिए गए बयानों में लगातार परिवर्तन किए गए हैं। धारा 216 द0प्र0सं0 के तहत आरोप में परिवर्तन न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में निहित है। उक्त अधिकार क्षेत्र का प्रयोग न्यायालय द्वारा मामले के तथ्यों, परिस्थितियों एवं साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए स्वयमेव किया जा सकता है। **विधि व्यवस्था सत्यम शर्मा बनाम उ0प्र0 राज्य व तीन**

अन्य में आपराधिक निगरानी सं0 1202/2025 में दिनांक 21.11.2025 में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा यह निर्णय दिया गया कि आरोपों में बदलाव करने की मांग का अधिकार न शिकायतकमर्ता को है और न आरोपी/अभियुक्त को है। यह शक्ति केवल अदालत को है। विधि व्यवस्था– **पी0कार्तीकलाक्ष्मी बनाम श्रीगणेश, फौजदारी अपील नं0 1709/2014 उद्भुत एस.एल.पी. क्रिमि0 नं0 1899/2013** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि यह स्थापित सिद्धांत है कि धारा 216 द0प्र0सं0 के तहत न्यायालय को अनन्य क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है तथा किसी पक्षकार को यह अधिकार नही है कि प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर अधिकार के रूप में कुछ जोड़े जाने या आरोप में परिवर्तन किए जाने की मॉग कर सकें। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने चेतावनी दी है कि यदि पक्षकारों को ऐसे आवेदन देने की अनुमति दी तो ''अदालतें कभी भी मुकदमें को समय पर समाप्त नहीं कर पायेंगी और स्पीडी ट्रायल त्वरित विचारण की अवधारणा नष्ट हो जायेगी।''

9– अतः उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना के पश्चात न्यायालय का स्पष्ट अभिमत है कि अभियोजन पक्ष को धारा 216 द0प्र0सं0 के तहत आरोप में परिवर्तन या वृकिद्ध किए जाने हेतु प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 216 द0प्र0सं0 के तहत प्रस्तुत करने की अधिकारिता नही है। अतएव अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांकित 22.12.2025 पोषणीय नही है। तदनुसार प्रार्थनापत्र निरस्त होने योग्य है।

आदेश

वादिया मुकदमा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 19 ख अन्तर्गत धारा 216 द0प्र0सं0 (239 बी.एन.एस.एस.) दिनांकित 22.12.2025 निरस्त किया जाता है।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन पक्ष दिनांक 12.03.2026 को पेश हो। अभियोजन साक्षीगण जरिये समन तलब हों।

दिनांक 20.02.2026

ह0

(पुष्कर उपाध्याय)
अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं0–1,
आगरा।
आई0डी0 नं0–यूपी–6086

Digitally signed by PUSHKAR UPADHYAY
Date: 2026.02.20 17:10:14 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court